राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 110 / 2024

पिंकी खोईवाल —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
4. धीरेन पंवार, सहायक प्रोफेसर (बॉटनी), राजकीय बालिका पी जी कॉलेज, जैसलमेर से राजकीय बालिका पी जी कॉलेज, मगरा पुंजला, जोधपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 05.03.2024
आदेश की दिनांक : 06.03.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री चन्द्रवीर सिंह शेखावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर राजकीय बालिका कॉलेज बालोतरा में दिनांक 02.10.2018 को हुई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.07.2021 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के लिए प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2021 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय बालिका कॉलेज बालोतरा से राजकीय कॉलेज मगरा पूंजला जोधपुर में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय कॉलेज मगरा पूंजला जोधपुर से राजकीय पी जी कॉलेज जिला फलोदी में 150 किमी दूर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में कार्यरत है। राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति रही है कि यदि पति पत्नी राजकीय सेवा में कार्यरत है तो उन्हें एक ही स्थान पर या आसपास पदस्थापित किये जाने का

प्रावधान है। अपीलार्थी का 3 वर्ष का छोटा बच्चा है जिसकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा की जाती है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 20.02.2024 को निरस्त करने का निवेदन किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कारवाई नहीं की गई। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं अपीलार्थी को सहायक आचार्य (बॉटनी) के पद पर राजकीय बालिका पी जी कॉलेज मगरा पूंजला, जोधपुर में कार्य करने के निर्देश दिये जावे।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्तों की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। विद्वान् अभिभाषक ने जाहिर किया कि स्थानान्तरण एवं यात्रा भत्ता नियमानुसार देय होने के उपरान्त भी अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधि अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य